


बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक-22/6/2018.

संख्या-12/विविध-5011/18 सा0प्र0.....8320...../श्री मनोज कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज एवं श्री काली आशीष, अवर निबंधन पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को अपने कार्यों के अतिरिक्त न्यायालय/विधि-व्यवस्था एवं कार्यालय कार्य के सम्पादन हेतु भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत उदाकिशुनगंज अनुमंडल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है। साथ ही मधेपुरा जिला में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु शक्तियाँ प्रदान की जाती है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
22.06.18  
(राम विशुन राय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-12/विविध-5011/18 सा0प्र0.....8320...../पटना-15, दिनांक-22/6/2018.

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0टी0, प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा/श्री मनोज कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा/श्री काली आशीष, अवर निबंधन पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
22.06.18  
सरकार के अवर सचिव।